संख्या-235/2016/1656/22-2-2016-17(330)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम औतार पुत्र श्री रूप्पा, निवासी जनपद-कन्नौज की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम औतार पुत्र श्री रूप्पा, निवासी ग्राम-जयसिंह पुरवा, थाना-गुरसहायगंज जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। दोनो पक्षों के मध्य काफी समय से चली आ रही रंजिश को लेकर बन्दी ने 06 सहअभियुक्तोंके साथ मिलकर दिनांक 23-04-1977 को दोपहर लगभग 12:30 बजे लाठी, डण्डों से पीटकर बाबू सिंह, देवपाल सिंह एवं रामवीर सिंह नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 53/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,149,302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फरूर्खाबाद दिनांक 12-03-1979 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2015 तक 17 वर्ष 06 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 04 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, कन्नौज द्वारा बन्दी के अपराध करने में अशक्त नहीं होने के कारण उसके पुन: अपराध की आशंका होने एवं अपराध पुरानी रंजिश के कारण किया गया गया है जिससे समाज आंशिक रूप से प्रभावित होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने एवं कारागार में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नही की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन में हां की आख्या अंकित करते हुए एवं परिवार की आर्थिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं सामाजिक स्थिति बन्दी के जेल से रिहाई हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम औतार पुत्र श्री रूप्पा, निवासी जनपद-कन्नौज को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम औतार (बन्दी संख्या-15718)पुत्र श्री रूप्पा, निवासी जनपद-कन्नौज के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-235/2016/1656(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-235/2016/1656/22-2-2016-17(280)/2016

दिनांक 23 नवम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम औतार पुत्र श्री रूप्पा, निवासी ग्राम-जयसिंह पुरवा, थाना-गुरसहायगंज जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। दोनो पक्षों के मध्य काफी समय से चली आ रही रंजिश को लेकर बन्दी ने 06 सहअभियुक्तोंके साथ मिलकर दिनांक 23-04-1977 को दोपहर लगभग 12:30 बजे लाठी, डण्डों से पीटकर बाबू सिंह, देवपाल सिंह एवं रामवीर सिंह नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 53/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,149,302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फरूर्खाबाद दिनांक 12-03-1979 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2015 तक 17 वर्ष 06 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 04 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, कन्नौज द्वारा बन्दी के अपराध करने में अशक्त नहीं होने के कारण उसके पुन: अपराध की आशंका होने एवं अपराध पुरानी रंजिश के कारण किया गया गया है जिससे समाज आंशिक रूप से प्रभावित होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने एवं कारागार में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नही की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन में हां की आख्या अंकित करते हुए एवं परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बन्दी के जेल से रिहाई हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम औतार पुत्र श्री रूप्पा, निवासी जनपद-कन्नौज को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in